



भारतीय संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों की अस्वीकृति

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में, [संसद सदस्यों](#) की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों के लिये महत्वपूर्ण [गैर-सरकारी वधियकों](#) को सीमिति समय आवंटन के कारण भारत की संसद में अस्वीकृत कर दिया गया है।

- [17वीं लोकसभा \(जून 2019 से फरवरी 2024\)](#) में इन वधियकों पर विचार-विमर्श में कमी देखी गई, जिससे व्यक्तिगत सांसदों की घटती भूमिका और [संसदीय लोकतंत्र](#) के स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक क्या है?

- **परिचय:** गैर-सरकारी सदस्यों के वधियक उन सांसदों द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं जो **मंत्रि नहीं होते** (अर्थात् सरकार का हिस्सा नहीं होते), जिससे उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** केवल गैर-सरकारी सदस्य ही इन वधियकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र वधियाँ प्रस्तावों को अवसर मिलता है।
 - सांसद **वशिष्ट मामलों** पर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **प्रक्रिया:**
 - प्रस्ताव तैयार करना और नोटिस देना: सांसद कम से कम एक महीने के नोटिस पर वधियक का प्रस्ताव तैयार करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं।
 - परिचय: वधियक संसद में पेश किये जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।
 - बहस: यदि चयन हो जाता है, तो वधियकों पर बहस की जाती है, आमतौर पर शुक्रवार दोपहर को सीमिति सत्रों में।
 - निर्णय: वधियक वापस लिये जा सकते हैं या मतदान के लिये आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- महत्त्व: ये वधियक सांसदों को दलीय दबाव के बिना, प्रायः महत्वपूर्ण या विवादास्पद मुद्दों पर अपनी बात कहने का मंच प्रदान करते हैं।
 - इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण वर्ष **1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री** की मृत्यु के बाद **एच.वी. कामथ** द्वारा प्रस्तुत वधियक है, जिसमें **संवधान में संशोधन करके केवल लोकसभा सदस्यों को ही प्रधानमंत्री पद के लिये पात्र बनाने का प्रयास** किया गया था।
 - स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल **14 गैर-सरकारी वधियक** पारित किये गये हैं, तथा वर्ष **1970 के बाद से कोई भी वधियक पारित नहीं हुआ है**।
 - [ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार वधियक, 2014](#), 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित पहला गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक था, लेकिन यह लोकसभा में पहुँचे बिना ही व्यपगत हो गया।

सरकारी वधियक बनाम गैर-सरकारी वधियक

सरकारी वधियक	
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी वधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सरकारी वधियक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये।	इस वधियक को संसद में पेश करने के लिये नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

सरकारी सदस्यों के वधियकों में कमी क्यों आई है?

- **समय की कमी:** PRS लेज़सिलेटिव रिसर्च के आँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों पर सरिफ 9.08 घंटे जबकि राज्य सभा में 27.01 घंटे का व्यय हुआ, जो कुल सत्र के घंटों का एक अंश है।
- **18वीं लोकसभा के दो सत्रों में** नचिले सदन में ऐसे वधियकों पर केवल 0.15 घंटे तथा राज्य सभा में 0.62 घंटे व्यय किये गए, तथा प्रस्तावों पर सबसे कम समय लगा।
- **शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की तथि निर्धारित होने** से चर्चा सीमति हो जाएगी, क्योंकि किई सांसद अपने नरिवाचन क्षेत्रों में चले जाएंगे, जसिसे चर्चा के लिये समय और कम हो जाएगा।
- इन वधियकों की लोकप्रयिता में गरिवट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी को माना जा सकता है, क्योंकि किई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते।
- **गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को पुनः शुरू करना:** गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को सप्ताह के मध्य में स्थानांतरित करने से भागीदारी और चर्चा को बढ़ावा मलि सकता है।
- **सांसदों को उनके प्रस्तावति उपायों में सक्रयि रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना** तथा संसद में स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार की रक्षा करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिंस:

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. गैर-सरकारी वधियक ऐसा वधियक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो नरिवाचति नहीं है कनितु भारत के राष्ट्रपतद्वारा नामनरिदष्टि है।
2. हाल ही में, भारत की संसद के इतहिस में पहली बार एक गैर-सरकारी वधियक पारति किया गया है। उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कानून बनाने की प्रकरयिा संसद के कसिी भी सदन में वधियक पेश कयि जाने से शुरू होती है। वधियक को मंत्री या मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। पहले मामले में इसे सरकारी वधियक कहा जाता है और दूसरे मामले में इसे गैर-सरकारी सदस्य का वधियक कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में, एक गैर-सरकारी सदस्य का वधियक कसिी मंत्री के अलावा संसद के कसिी भी सदस्य (नरिवाचति या मनोनीत) द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले एक महीने की नोटसि अवध की आवश्यकता होती है। इसका मसौदा तैयार करना उस सदस्य की एकमात्र ज़मिमेदारी है जो वधियक पेश करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संसद द्वारा पारति पहला गैर-सरकारी वधियक मुस्लिमि वक्फ वधियक, 1952 था, जसिका उद्देश्य वक्फों का बेहतर शासन और प्रशासन प्रदान करना था। इसे वर्ष 1954 में पारति किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वर्ष 2015 में राज्य सभा द्वारा पारति ट्रांसजेंडर व्यक्त (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2014 पछिले 45 वर्षों में राज्य सभा की स्वीकृतपाने वाला पहला गैर-सरकारी वधियक बन गया। अतः वकिल्प (d) सही उत्तर है।